समाहरणालय, खगड़िया

बिहार सरकार

ई–मेल :– adm.rev.khagaria@gmail.com बेवसाइट :– khagaria.nic.in

पत्रांक– 534 जिला राजस्व शाखा दिनांक–07.03.2022

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

सेवा में,

संयुक्त सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी,
विधि विभाग, बिहार पटना।

विषय :– बिहार विधान सभा में दिनांक–07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक– एल0आर0टी0– 02–वि0स0 (ध्याना0) –13/2022 –1255/जे0, दिनांक–05.03.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में बिहार विधान सभा में दिनांक–07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>ध्यानाकर्षण सूचना</th><th>उत्तर सामग्री</th></tr>
<tr><td>01</td><td>माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या–4850/2021 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) No. 33675 OF 2017) के अनुसार कंडिका–27 में देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।</td><td>स्वीकारात्मक है।
इस संबंध में दिनांक–31.01.2022 को आयोजित बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, अंचल अधिकारी को आवश्यक निदेश दिया गया है। साथ ही नये सर्वे में धार्मिक न्यास की परिसम्पत्तियों के इन्द्राज की खातिर कार्यालय पत्रांक–338/रा0, दिनांक– 08.02.2022 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में टाक्स फोर्स का गठन किया गया है।</td></tr>
<tr><td>02</td><td>अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर, जो निबंधित/अनिबंधित है, का कुल संख्या प्रमंडलवार/जिलावार खाता, खेसरा, रकवा (एकड़) में उपलब्ध कराया जाय। दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर पंमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि से संबंधित वांछित सूचना के संबंध में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।</td><td>खगड़िया जिलान्तर्गत निबंधित एवं अनिबंधित धार्मिक न्यासों का ब्योरा प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को पत्रांक–358/रा0, दिनांक–12.02.2022 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही उक्त सची जिला के बेबसाईट पर भी अपलोड कर दिया गया है। समेकित विवरणी निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th colspan="2">निबंधित</th><th colspan="2">अनिबंधित</th><th colspan="2">कुल</th></tr>
<tr><th>सं0</th><th>क्षे0</th><th>सं0</th><th>क्षे0</th><th>सं0</th><th>क्षे0</th></tr>
<tr><td>43</td><td>536.20 एकड़</td><td>100</td><td>722.34 एकड़</td><td>143</td><td>1258.54 एकड़</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

03	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित / सर्वेक्षित मठ मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का मांग प्रतिवेदन।	अंचल कार्यालय में मापी की कार्रवाई चल रही है। प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरान्त पीलर गाड़ने हेतु अनुमानित प्राक्कलन प्रस्ताव भेजा जायेगा।
04	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत मठ / मंदिर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं बिक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	धार्मिक न्यास की भूमि का अबतक कुल 44 अवैध जमाबंदियों का रद्दीकरण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसका अभिलेख संधारण कर अपर समाहर्त्ता न्यायालय में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही धार्मिक न्यास की भूमि पर अवैध कब्जा पाये जाने पर बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 44 सेक्सन 43 सी0 के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। अबतक कुल 48 खेसराओ के निबंधन पर रोक लगा दी गयी है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

7/3/22

समाहर्त्ता,
खगड़िया।